

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/ आषाढ़ 15, 1938

No. 224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड)
संकल्प

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

सं. यू. 23013/08/2011-एलडब्ल्यू (.).— ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 28 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल, 2011 के समसंख्यक संकल्प एवं दिनांक 25 अगस्त, 2014 के उत्तरवर्ती संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं, नामतः:-

(क) उक्त संकल्प में पैरा-2 में क्रम संख्या (1) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

“1. श्री बी.सी. शर्मा

संयुक्त महासचिव,

नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर)

17 -बी, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली -110055

- सदस्य”

(ख) उक्त संकल्प में पैरा 2 में क्रम संख्या (2) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए-

“2. अधीक्षक अभियंता (सीएंडएम)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,

निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

- सदस्य”

(ग) उक्त संकल्प में पैरा 4 में तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए-

“4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यह समिति अपनी रिपोर्ट अपने गठन के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी और संबंधित समिति के सदस्य संयोजक समिति के गठन के एक माह के भीतर समिति की पहली बैठक बुलाएंगे। यह समिति सख्ती से समय-सारणी का पालन करेगी।”

ए. के. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th July, 2016

No. U-23013/08/2011-LW. (.).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby directs that the following amendments shall be made in the Resolution of even No. dated 23rd April, 2011 of the Government of India, Ministry of Labour & Employment published in the Gazette of India, Extraordinary part-I Section-I dated 28th April, 2011 and subsequent Resolution dated 25th August, 2014, namely:-

(A) In the said Resolution for serial number (1) in para 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely thereto:-

“1. Shri B.C. Sharma
Joint General Secretary,
National Federation of Indian Railwaymen (NFIR)
17-B, Chelmsford Road, New Delhi – 110055
-Member”

(B) In the said Resolution for serial number (2) in para 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely thereto:-

“2. The Superintendent Engineer (C&M),
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan,
New Delhi - 110011.
-Member”

(C) In the said Resolution in para 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely thereto”-

“4. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The committee will submit its report within three months of constitution and that the Member Convener of the committee shall convene the first meeting of the committee within one month of the constitution of the committee. The committee shall strictly adhere to the time schedule.”

A.K. SINGH, Secy.